न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
48 / 18	11.07.2018	21.6.19

1. उरफान पुत्र श्री शेरमोहम्मद जाति मेव निवासी टेउवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. कमाल पुत्र श्री जगमाल जाति मेव निवासी टेउवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 111 व 128 भू राजस्व

अधिनियम 1956 बाबत कराये जाने पुनः पैमाईश, पत्थरगढी

उपस्थितिः–

1. श्री फिरोज खांन अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराये जाने पुनः पैमाईश, पत्थरगढी आराजी हाल खसरा नम्बर 28/2/0.2800 हैक्टयर वाके ग्राम टेउवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर मे स्थित है। मिन प्रार्थी की विवादित आराजी के तरफ पूर्व मे अप्रार्थी कमाल की आराजी, तरफ पश्चिम मे फतेह पुत्र श्री लालखां जाति मेव ग्राम टेउवास की आराजी व तरफ उत्तर मे संतोष पत्नी सुरेश पुत्र श्री बुधराम जाति अहीर निवासी ग्राम भौकर की आराजी व तरफ दक्षिण दिशा मे लगती हुई जफरू, असरू पुत्रान मोहरसिंह जाति मेव निवासी ग्राम टेउवासी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। अप्रार्थी लडाका वो मुठमर्द प्रवृति का व्यक्ति है जो कि कानून कायदो की कतई परवाह नही करता है। अप्रार्थी आये दिन मिन प्रार्थी की विवादित आराजी की डोल को मिसमार करता रहता है। व आये रोज विवाद करता रहता है जिस कारण मिन प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी की पैमाईश दिनांक 14.06.2018 को श्रीमान तहसीलदार साहब, कोटकासिम के आदेश कमांक 36 दिनांक 05.06.2018 की पालना मे हल्का पटवारी से करवाई हुई है।

अप्रार्थी, मिन प्रार्थी को विवादित आराजी की पत्थरगढी, पैमाईश मौका पर्चा दिनांक 14.06.2018 के अनुसार नही करने दे रहा है। मिन प्रार्थी पैमाईश मौका पर्चा दिनांक 14.06.2018 के अनुसार विवादित आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थी से कई बार अपने साथ मौजिज व्यक्तियो को ले जाकर निवेदन कर चूका हू, अप्रार्थी, मिन प्रार्थी को आश्वासन देता रहा कि मौका पर्चा के अनुसार तुम अपनी विवादित आराजी की पत्थरगढी कर लेना और मैने तुम्हारी विवादित आराजी का जो रकबा अपनी आराजी मे मिलाकर दबा रखा है उसे छोड दूँगा। परन्तु दिनांक 06.07.2018 को अप्रार्थी ने ऐलानिया तौर पर मिन प्रार्थी को धमकी दी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

कि मैने अपनी आराजी मे तुम्हारी विवादित आराजी का रकबा दबाया हुआ है उसे नही छोडूँगा और ना ही तुझे पैमाईश मौका पर्चा के अनुसार विवादित आराजी की पत्थरगढी करने दूँगा। इसलिये मिन प्रार्थी को अपनी विवादित आराजी की पैमाईश मौका पर्चा दिनांक 14.06.2018 के अनुसार पत्थरगढी कराई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की जरिये रजिस्टर्ड तामील हो चुकी है इसलिये इनके खिलाफ दिनांक 14.06.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कहा कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 28/2/0.2800 हैक्टयर वाके ग्राम टेउवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 मिन प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस पर मिन प्रार्थी काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी, मिन प्रार्थी को विवादित आराजी की पत्थरगढी, पैमाईश मौका पर्चा दिनांक 14.06.2018 के अनुसार नही करने दे रहा है। मिन प्रार्थी पैमाईश मौका पर्चा दिनांक 14.06.2018 के अनुसार विवादित आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थी से कई बार अपने साथ मौजिज व्यक्तियो को ले जाकर निवेदन कर चूका हू, अप्रार्थी, मिन प्रार्थी को आश्वासन देता रहा कि मौका पर्चा के अनुसार तुम अपनी विवादित आराजी की पत्थरगढी कर लेना और मैने तुम्हारी विवादित आराजी का जो रकबा अपनी आराजी मे मिलाकर दबा रखा है उसे छोड दूँगा। परन्तु दिनांक 06.07.2018 को अप्रार्थी ने ऐलानिया तौर पर मिन प्रार्थी को धमकी दी कि मैने अपनी आराजी मे तुम्हारी विवादित आराजी का रकबा दबाया हुआ है उसे नही छोडूँगा और ना ही तुझे पैमाईश मौका पर्चा के अनुसार विवादित आराजी की पत्थरगढी करने दूँगा। इसलिये मिन प्रार्थी को अपनी विवादित आराजी की पैमाईश मौका पर्चा दिनांक 14.06.2018 के अनुसार पत्थरगढी कराई जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं मौका पर्चा दिनांक 14.06.2018 व जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 28/2/0.2800 हैक्टयर वाके ग्राम टेउवास तह0 कोटकासिम कि मौका पैमाईश दिनांक 14.06.2018 के अनुसार पत्थरगढी कराई जावे। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमे अप्रार्थी कमाल के हस्ताक्षर नही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी कमाल की अनुपस्थिति मे मौका पर्चा पैमाईश दिनांक 14.06.2018 तैयार की गई है। इसलिए पुनः पैमाईश करा कर पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अ0धा0 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः पैमाईश की जाकर पत्थरगढी कराई जावे। तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21·6·19 को मेरे द्वारा टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner